न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 285 / 2016

उनवान

1. रामगोपाल पिता लक्ष्मण दास बैरागी निवासी बारणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. शिवराज पिता लक्ष्मण दास बैरागी निवासी बारणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. शम्भू लाल पिता लक्ष्मण दास बैरागी निवासी बारणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. पुष्पा देवी पत्नी लक्ष्मण दास बैरागी निवासी बारणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसीन्द, जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 04 / 2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.6..2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री मुनीर गनी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण / वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की मौरूसी जायदाद मौजा बारणी पटवार हल्का बारणी में साबिक खाता संख्या 165

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संवत 2010 से 2013 की जमाबंदी मे आराजी नम्बर 30 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 31 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 32 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 33 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 34 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 35 रकबा 3 बीघा , आराजी नम्बर 36 रकबा 2 बीघा व आराजी नम्बर 37 रकबा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 38 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा आराजी नम्बर 39 रकबा 3 बीघा व आराजी नम्बर 114 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 115 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 116 रकबा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 117 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 118 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 119 रकबा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 120 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 121 रकबा 11 बिस्वा , आराजी नम्बर 122 रकबा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 123 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 20 रकबा 28 बीघा 03 बिस्वा लगानी 135.00 रूपये से जानी जाती है। जिस पर वादीगण बहैसियत मालिक संयुक्त खाते व कब्जे में शांतिपूर्वक चली आ रही है। खातेदार लक्ष्मणदास पिता भगवानदास की मृत्यु दिनांक 28.7.1994 को हो गई। जिसके पटवार हल्का बारणी के हाल खाता संख्या 290 संवत 2069 से 2072 के आराजी नम्बर 32 रकबा 0.42है0, आराजी नम्बर 33 रकबा 0.58 है0, आराजी नम्बर 34 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 35 रकबा 0.45 है0, आराजी नम्बर 36 रकबा 0.19 है0, आराजी नम्बर 37 रकबा 1.13 है0, आराजी नम्बर 38 रकबा 0.54 है0, आराजी नम्बर 39 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 40 रकबा 0.28 है0, आराजी नम्बर 41 रकबा 0.31 है0, आराजी नम्बर 42 रकबा 0.31 हे0, आराजी नम्बर 105 रकबा 0.05 है0, आराजी नम्बर 106 रकबा 0.05 है0, आराजी नम्बर 107 रकबा 0.10 है0, आराजी नम्बर 108 रकबा 0.02 है0, आराजी नम्बर 109

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 0.57 है0, आराजी नम्बर 110 रकबा 0.58 है, कुल किता 18 कुल रकबा 6.10 है0 भूमि लगानी 145.43 रूपये से जानी जाती है । जिस पर वादीगण का कब्जा लगातार संयुक्त रूप से चला आ रहा है।

2. पटवार हल्का बारणी के खाता संख्या 167/1 संवत 2019 से 2022 तक खातेदार रूगनाथ जी महाराज स्थान देह पुजारी बालकदास गुरू सांवलदास बैरागी भूमिधारी आराजी नम्बर 570 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा लगानी 3 रूपये 11 आने से जानी जाती है। जिसके नये खाता संख्या 266 जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के आराजी नम्बर 952 रकबा 1.45 है भूमि लगानी 17.40 पैसे से जानी जाती है। जिसका खातेदार रूगनाथ जी महाराज स्थान देह पुजारी खुदकाश्त लक्ष्मणदास गुरू बालकदास साकिन देह दर्ज था। आधार वर्ष की जमाबंदी संवत 2050 से 2053 में नोट–प्रतिलिपि परिपत्र क्रमांक प.2 (4) राज.–4–98/37 दिनांक 31.12.1991 उपशासन सचिव राजस्व ग्रुप (6) विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में पुजारी का नाम हटाने का आदेश के अनुसार रेकार्ड मे पटवार हल्का द्वारा गलत इन्द्राजात कर दिये। जिसको वादीगण वाद के जरिये घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती कराना चाहते है। जिसका उन्हें विधिक अधिकार है। वादीगण ने पटवार हल्का में अर्जी दी लेकिन दिनांक 31.12.2012 को राजस्व अधिकारियों ने मना कर दिया । अतः बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी वादग्रस्त हाल खाता संख्या 290 में श्री रूगनाथ जी महाराज स्थान देह को हटाकर वादीगण के नाम उक्त खातेदारी की घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री प्रदान कराई जावे साथ ही खाता संख्या 266 में श्री रूगनाथ जी महाराज स्थान देह के पुजारी वादीगण को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने की डिक्री व खातेदारी की घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री प्रदान कराई जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद खारिज किया जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलान्टगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद विधिक प्रकिया अपनाये तनकियात कायम किये व साक्ष्य लिये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 से कैम्प कोर्ट शम्भूगढ तहसील आसीन्द मुकाम पर प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई एवं वादीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित कर दिया । अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो पाई । जानकारी होने पर अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया । नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत की । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र बिना विधिक प्रकिया अपनाये पारित किया है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण की मौरूसी जायदाद मौजा बारणी पटवार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हल्का बारणी में साबिक खाता संख्या 165 संवत 2010 से 2013 की जमाबंदी मे आराजी नम्बर 30 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 31 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 32 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 33 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 34 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 35 रकबा 3 बीघा , आराजी नम्बर 36 रकबा 2 बीघा व आराजी नम्बर 37 रकबा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 38 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा आराजी नम्बर 39 रकबा 3 बीघा व आराजी नम्बर 114 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 115 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 116 रकबा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 117 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 118 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 119 रकबा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 120 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 121 रकबा 11 बिस्वा , आराजी नम्बर 122 रकबा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 123 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 20 रकबा 28 बीघा 03 बिस्वा लगानी 135.00 रूपये से जानी जाती है। जिस पर अपीलार्थीगण बहैसियत मालिक संयुक्त खाते व कब्जे में शांतिपूर्वक चली आ रही है। खातेदार लक्ष्मणदास पिता भगवानदास की मृत्यु दिनांक 28.7.1994 को हो गई। जिसके पटवार हल्का बारणी के हाल खाता संख्या 290 संवत 2069 से 2072 के आराजी नम्बर 32 रकबा 0.42है0, आराजी नम्बर 33 रकबा 0.58 है0, आराजी नम्बर 34 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 35 रकबा 0.45 है0, आराजी नम्बर 36 रकबा 0.19 है0, आराजी नम्बर 37 रकबा 1.13 है0, आराजी नम्बर 38 रकबा 0.54 है0, आराजी नम्बर 39 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 40 रकबा 0.28 है0, आराजी नम्बर 41 रकबा 0.31 है0, आराजी नम्बर 42 रकबा 0.31 हे0, आराजी नम्बर 105 रकबा 0.05 है0, आराजी नम्बर 106 रकबा 0.05 है0, आराजी नम्बर 107 रकबा 0.10 है0, आराजी नम्बर 108

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 0.02 है0, आराजी नम्बर 109 रकबा 0.57 है0, आराजी नम्बर 110 रकबा 0.58 है, कुल किता 18 कुल रकबा 6.10 है0 भूमि लगानी 145.43 रूपये से जानी जाती है । जिस पर अपीलार्थीगण का कब्जा लगातार संयुक्त रूप से चला आ रहा है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पटवार हल्का बारणी के खाता संख्या 167/1 संवत 2019 से 2022 तक खातेदार रूगनाथ जी महाराज स्थान देह पुजारी बालकदास गुरू सांवलदास बैरागी भूमिधारी आराजी नम्बर 570 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा लगानी 3 रूपये 11 आने से जानी जाती है। जिसके नये खाता संख्या 266 जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के आराजी नम्बर 952 रकबा 1.45 है0 भूमि लगानी 17.40 पैसे से जानी जाती है। जिसका खातेदार रूगनाथ जी महाराज स्थान देह पुजारी खुदकाश्त लक्ष्मणदास गुरू बालकदास साकिन देह दर्ज था।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद पत्र बिना कोई तनकियात कायम किये एवं साक्ष्य लिये बिना ही कोई विधिक प्रकिया अपनाये निर्णित करते हुए डिक्री पारित कर दी । राजस्व कैम्प कोर्ट शम्भूगढ तहसील आसीन्द मुकाम परवाद बिना सुनवाई का अवसर दिये अंतिम निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण जैर बहस में जवाब दावा भी दिनांक 1.6.2015 को पेश हुआ जिसकी प्रति अपीलार्थीगण/वादीगण को नहीं दी गई न ही अपीलार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया है जो निरस्त येाग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय व डिक्री को निरस्त की जावे एवं प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही करने के उपरान्त निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड की जावे।

11. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किया जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा वाद पत्र 3.1.2013 को पंजिबद्ध किया गया एंव प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.3.2016 नियत की गई। दिनांक 20.2.2013 को राजस्व कैम्प होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.5.2013 नियत की गई। दिनांक 22.5.2013 को पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.7.2013 नियत की गई। दिनांक 25.7.2013 को प्रकरण को जवाब हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.9.2013 नियत की गई। उसके उपरान्त पत्रावली प्रतिवादी के जवाब में नियत होती रही। दिनांक 6.4.2015 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

25.5.2015 नियत की गई। नियत तारीख 25.5.2015 को कोई आदेशिका पत्रावली में नहीं लिखी गई। उसके उपरान्त प्रकरण पत्रावली को सीधे ही दिनांक 1.6.2015 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट शम्भूगढ मे रखा गया । प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष को इस बाबत कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने के बाबत किसी प्रकार के नोटिस संलग्न नहीं है जो उभयपक्ष को जारी किये गये हों। जहॉ पर प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में अंकित किया कि '' वकील वादी अनुपस्थित, वादी मय पेरोकार उपस्थित। जवाब पेश शामिल मिसल हो। पत्रावली का अवलोकन किया गया निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो।''

14. पत्रावली में दिनांक 1.6.2015 की आदेशिका के अवलोकन से यह तथ्य जाहिर आया है कि वादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित थे। आदेशिका पर वादी रामगोपाल के हस्ताक्षर है। उक्त हस्ताक्षर उपस्थिति स्वरूप किये गये हैं। अन्य वादीगण की उपस्थिति का कोई अंकन आदेशिका में नहीं किया गया है एवं न ही उनकी उपस्थिति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर है। दिनांक 1.6.2015 को प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुंत किया गया । जिसकी प्रति विधिवत वादीगण को दिलाई जानी चाहिये थी। उसके उपरान्त जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम की जानी चाहिये थी। उसके बाद उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, रिकार्ड के आधार पर तनकीवाईज गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

चाहिये था चूंकि मूल वाद में उभयपक्ष के हक हितों का बाद साक्ष्य सुनवाई के अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में आदेशिका में सभी वादीगण की उपस्थिति के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर भी नहीं है एवं वादीके अधिवक्ता की अनुपस्थिति अंकित की गई है। वकील वादी की अनुपस्थिति में कैम्प शम्भुगढ में पत्रावली चिन्हित हो कर तलब किये जाने बाबत सूचना/नोटिस जारी होने व उभयपक्ष को समुचित सूचना दिया जाकर निर्णय पारित किया जाना पत्रावली से साबित नहीं होता है। वादी रामगोपाल के अतिरिक्त अन्य वादीगण संख्या 2, 3, 4, की उपस्थिति की पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से नहीं होती है। ऐसे में सभी वादीगण की उपस्थिति कैम्प शम्भुगढ में होना साबित नहीं होता है।

15. अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में वादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर विधि अनुसार निर्णय पारित नहीं किया गया है । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

16. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.6.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे की प्रति अपीलार्थीगण/वादीगण को दिलाई जाकर, जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम करने के उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर गुणावगुण पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 7-11-19 को उपस्थित रहें।

17. निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा